भारत सरकार

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 520

बुधवार, दिनांक 23 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>नवीकरणीय ऊर्जा के साधनों को बढ़ावा देने हेतु योजनाएं</u>

520. श्री वाई. एस. अविनाश रेड्डीः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में नवीकरणीय ऊर्जा का कुल कितना उत्पादन हुआ है;

(ख) सरकार द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा के साधनों को बढ़ावा देने के लिए किए गए/किए जाने वाले उपायों और आरंभ की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा हरित ऊर्जा गलियारों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं; और

(घ) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा के साधनों को अपनाने के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी राजसहायता आवंटित और वितरित की गई?

उत्तर

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में उत्पादित नवीकरणीय ऊर्जा का वितरण नीचे दिया गया हैः

वर्ष	उत्पादन (बिलियन यूनिट में)
2022-23	365.65
2023-24	359.89
2024-25	403.64

स्रोत: केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए)

(ख) सरकार ने देश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को बढ़ावा देने और उसमें तेजी लाने के लिए विभिन्न उपाय और पहल की हैं, जैसा कि **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

इसके अलावा, देश में अक्षय ऊर्जा के विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने विभिन्न योजनाएं आरंभ की हैं। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा कार्यान्वित की जा रही चल रही प्रमुख योजनाओं की सूची **अनुलग्नक-II** में दी गई है।

(ग) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने अक्षय ऊर्जा **(**RE) की निकासी और ग्रिड एकीकरण हेतु समर्पित ट्रांसमिशन प्रणालियों के निर्माण में सहायता हेतु हरित ऊर्जा गलियारा (GEC) योजना के अंतर्गत चरणबद्ध पहल की हैं। इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन प्रणाली (InSTS) के चरण-1 के अंतर्गत**,** 24 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण हेतु 9,767 सर्किट किलोमीटर (ckm) ट्रासमिसन लाइनों और 22,689 MVA सबस्टेशन क्षमता

के विकास हेतु आठ राज्यों (आध प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु) में परियोजनाएँ कार्यान्वित की जा रही हैं।

इसके बाद, GEC चरण-11 (InSTS) में 20 गीगावाट अक्षय ऊर्जा की निकासी हेतु 7,919 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिसन लाइनों और 24,488 MVA सबस्टेशनों के विकास हेतु सात राज्यों (गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश) को शामिल किया गया।

(घ) मंत्रालय द्वारा निधियों का राज्य-वार धनराशि का आवंटन नहीं किया जाता है। केंद्रीय वितीय सहायता (सीएफए) संबंधित योजना दिशानिर्देशों के अनुसार जारी की जाती है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान मंत्रालय की प्रमुख चालू योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत जारी सीएफए का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण **अनुलग्नक-III** में दिया गया है।

अनुलग्नक-I

'नवीकरणीय ऊर्जा के साधनों को बढ़ावा देने हेतु योजनाएं' के संबंध में पूछे गए दिनांक 23.07.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 520 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

भारत सरकार ने देश में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा और गति देने के लिए विभिन्न उपाय और पहल की हैं। इनमें अन्य के साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 तक अक्षय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियों [आरईआईएः सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (सेकी), एनटीपीसी लिमिटेड, एनएचपीसी लिमिटेड, एसजेवीएन लिमिटेड] द्वारा जारी की जाने वाली 50 गीगावाट/वर्ष की अक्षय ऊर्जा विद्युत खरीद बोलियों को जारी करने के लिए बोली ट्रैजेक्ट्री जारी की है।
- ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी गई है।
- ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं हेतु दिसम्बर, 2030 तक तथा अपतटीय पवन परियोजनाओं के लिए दिसम्बर, 2032 तक इंटर-स्टेट ट्रांसमिशन प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्कों को माफ कर दिया गया है।
- अक्षय ऊर्जा खपत को बढ़ावा देने के लिए, अक्षय ऊर्जा खरीद बाध्यता (आरपीओ) के बाद अक्षय उपभोग बाध्यता (आरसीओ) ट्रजेक्ट्री को वर्ष 2029-30 तक के लिए अधिसूचित किया गया है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के अंतर्गत सभी नामित उपभोक्ताओं पर लागू आरसीओ की अनुपालना न करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। आरसीओ में विकेंद्रीकृत अक्षय ऊर्जा स्रोतों से खपत की निर्दिष्ट मात्रा भी शामिल है।
- ग्रिड कनेक्टेड सौर, पवन, पवन-सौर हाइब्रिड और सतत एवं प्रेषण योग्य अक्षय ऊर्जा (एफडीआरई) परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ आधारित स्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के लिए मानक बोली दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
- प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम), पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, राष्ट्रीय उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) तथा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए जेजीयूए) के अंतर्गत नवीन सौर विद्युत योजना (जनजातीय तथा पीवीटीजी बस्तियों/गावों के लिए), राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) जैसी योजनाएं शुरू की गई हैं।
- सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजनाओं पार्कों की स्थापना के लिए, अक्षय ऊर्जा डेवलपरों को बड़े स्तर पर अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु भूमि एवं ट्रांसमिशन उपलब्ध कराने के लिए योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।
- अक्षय विद्युत की निकासी के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना के अंतर्गत नई ट्रांसमिशन लाइनें बिछाने और नई सब-स्टेशन क्षमता विकसित करने हेतु वित्तपोषण किया गया है।
- पांच सौ किलोवाट तक अथवा स्वीकृत विद्युत लोड तक, जो भी कम हो, नेट-मीटरिंग के लिए विद्युत (उपभोक्ता के अधिकार) नियम, 2020 जारी किए गए हैं।

- "पवन विद्युत परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय पुनः शक्तिकरण और जीवन विस्तार नीति, 2023" जारी की गई है।
- "अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए रणनीति" जारी की गई है, जिसमें वर्ष 2030 तक 37 गीगावाट की बोली ट्रैजेक्ट्री और परियोजना विकास के लिए विभिन्न व्यापार मॉडल दर्शाए गए हैं।
- अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए अपतटीय क्षेत्रों के पट्टे (लीज) की मंजूरी को विनियमित करने के लिए अपतटीय पवन ऊर्जा पट्टा नियम, 2023 को विदेश मंत्रालय की दिनांक 19 दिसम्बर, 2023 की अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किया गया है।
- सौर फोटोवोल्टेक मॉड्यूलों और ग्रिड कनेक्टेड सौर इनवर्टरों के लिए मानक एवं लेबलिंग (एस एंड एल) कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।
- तीव्र अक्षय ऊर्जा ट्रैजेक्ट्री के लिए आवश्यक ट्रांसमिशन अवसंरचना को बढ़ाने के लिए वर्ष 2030 तक की ट्रांसमिशन योजना तैयार की गई है।
- "विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम (एलपीएस नियम)" अधिसूचित किए गए हैं।
- सभी के लिए किफायती, भरोसेमंद और सतत हरित ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिनांक 06 जून, 2022 को विद्युत (हरित ऊर्जा खुली पहुंच के माध्यम से अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा) नियम, 2022 अधिसूचित किए गए हैं। वितरण लाइसेंसधारी को उसी विद्युत प्रभाग में स्थित कुल मिलाकर सौ किलोवाट या इससे अधिक के एकल या बहु एकल कनेक्शन के माध्यम से 100 किलोवाट या इससे अधिक की संविदा मांग के साथ किसी भी उपभोक्ता को हरित ऊर्जा खुली पहुंच (ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस) की अनुमति है।
- एक्सचेंजों के माध्यम से अक्षय ऊर्जा विद्युत की बिक्री को सुविधाजनक बनाने के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएएम) की शुरुआत की गई है।
- सरकार ने यह आदेश जारी किए हैं कि विद्युत की आपूर्ति साख पत्र (लेटर ऑफ क्रेडिट - एलसी) या अग्रिम भुगतान के माध्यम से की जाएगी ताकि वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा अक्षय ऊर्जा उत्पादकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित हो सके।

अनुलग्नक-II

'नवीकरणीय ऊर्जा के साधनों को बढ़ावा देने हेतु योजनाएं' के संबंध में पूछे गए दिनांक 23.07.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 520 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-II

चल रही प्रमुख सौर ऊर्जा योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण

1. 40,000 मेगावाट क्षमता की स्थापना के लक्ष्य के साथ सौर पार्कों और अल्ट्रा-मेगा सौर विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए योजना। इस योजना के तहत भूमि, सड़क, विद्युत निकासी प्रणाली, जल की सुविधाएं जैसी अवसंरचना सभी सांविधिक स्वीकृतियों/अनुमोदनों के साथ विकसित की जाती हैं। इस प्रकार, यह योजना देश में उपयोगिता-स्तर की सौर परियोजनाओं के शीघ्र विकास में मदद करती है।
2. वर्ष 2026-27 तक एक करोड़ घरों के लिए रूफटॉप सौर की स्थापना के लिए पीएम सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना।
3. उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूलों (ट्रांश-I और ट्रांश-II) में गीगावाट स्तर की विनिर्माण क्षमता प्राप्त करने के लिए "राष्ट्रीय उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल कार्यक्रम" नामक उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना।
4. विकेंद्रीकृत सौर या अन्य नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत संयंत्रों को स्थापित करने के लिए, स्टैण्ड-अलोन सौर कृषि पंपों की स्थापना तथा फीडर-स्तरीय सौरीकरण सहित मौजूदा ग्रिड संबद्ध कृषि पंपों के सौरीकरण के लिए पीएम-कुसुम योजना। यह योजना न केवल किसानों के लिए, बल्कि राज्यों और डिस्कॉमों के लिए भी लाभदायक है।
5. सरकारी उत्पादकों द्वारा स्वयं के उपयोग के लिए अथवा सरकार/सरकारी संस्थाओं के उपयोग के लिए सीधे अथवा वितरण कंपनियों (डिस्कॉमों) के माध्यम से व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) सहायता के साथ 12000 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सौर फोटोवोल्टेक (पीवी) विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसयू) की योजना चरण-II (सरकारी उत्पादक योजना)।
6. भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिवों के उत्पादन, उपयोग और निर्यात हेतु वैश्विक हब बनाने के लक्ष्य से राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू किया गया।
7. ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (जीईसी): नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए इन्ट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन प्रणाली तैयार करना। कुल 10 राज्यों में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण अवसंरचना स्थापित करने के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाती है (जीईसी के दोनों चरणों पर विचार करते हुए):
   (i) आठ राज्यों में इन्ट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन प्रणाली चरण-I
   (ii) ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण-II
      क. सात राज्यों में इन्ट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन प्रणाली
      ख. लद्दाख में 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए इंटर-स्टेट ट्रांसमिशन प्रणाली
8. 1 गीगावाट अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं (गुजरात और तमिलनाडु प्रत्येक के अपतट पर 500 मेगावाट) की स्थापना और चालू करने के लिए अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए और अपतटीय पवन ऊर्जा

परियोजनाओं के लिए लॉजिस्टिक्स आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दो बंदरगाहों के अपग्रेडेशन व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) योजना।

9. जैव ऊर्जा कार्यक्रमः
   - अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रमः शहरी, औद्योगिक और कृषि अपशिष्ट/अवशेष से ऊर्जा संबंधी कार्यक्रम।
   - बायोमास कार्यक्रमः ब्रिकेट्स और पैलेट्स के निर्माण में सहायता और उद्योगों में बायोमास (गैर-खोई) आधारित सह-उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए योजना।
   - बायोगैस कार्यक्रमः परिवार प्रकार के बायोगैस संयंत्रों को बढ़ावा देने के लिए।

10. अक्षय ऊर्जा अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी विकास (आरई-आरटीडी) कार्यक्रम।

11. अल्पकालिक प्रशिक्षण एवं कौशल विकास कार्यक्रम, फेलोशिप, इंटर्नशिप, अक्षय ऊर्जा के लिए लैब अपग्रेडेशन हेतु सहायता और नवीकरणीय ऊर्जा चेयर जैसे घटकों के साथ मानव संसाधन विकास योजना।

12. जहाँ ग्रिड के माध्यम से बिजली की आपूर्ति तकनीकी-आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है, ऑफ-ग्रिड सौर लाइटिंग प्रदान करने के प्रावधान के साथ प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए जेजीयूए) के अंतर्गत नई सौर विद्युत योजना (जनजातीय और पीवीटीजी बसाहटों/गांवों के लिए)।

अनुलग्नक-III

'नवीकरणीय ऊर्जा के साधनों को बढ़ावा देने हेतु योजनाएं' के संबंध में पूछे गए दिनांक 23.07.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 520 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-II।

वर्ष 2022-23 के दौरान मंत्रालय द्वारा चल रही मुख्य योजनाओं के तहत अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए जारी राज्य-वार सीएफए के ब्यौरे

करोड़ रु. में

राज्य	सौर पार्क	रूफटॉप सौर	पीएम-कुसुम	सीपीएसयू	बायोमास	बायोगैस	अपशिष्ट से ऊर्जा	जीईसी
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह								
आंध्र प्रदेश		5.6					50.47	
अरूणाचल प्रदेश			0.82					
असम		4.9				0.11		
बिहार				1.75				
चंडीगढ़		2						
छत्तीसगढ़		3.3				3.70		
दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव				1.5				
दिल्ली		10.85						
गोवा								
गुजरात	522.17	1040.21	7.83				1.38	27.97
हरियाणा		14.72	137.95				3.53	
हिमाचल प्रदेश		11.7	5.85					4.02
जम्मू एवं कश्मीर		1.2	15.69					
झारखंड		3	20.04					
कर्नाटक		9.93				0.12		17.50
केरल	2.52	104.45						
लद्दाख								
लक्षद्वीप								
मध्य प्रदेश	109.36	35.47		32.25		0.29		96.77
महाराष्ट्र	12	58.95	247.60		1.75	3.04		5.08
मणिपुर			0.23					
मेघालय								
मिजोरम	1.28	0.8						
नागालैंड			0.20					
ओडिशा		0.6			0.40	0.47		
पुदुचेरी		0.01						
पंजाब		46.2	31.11		1.73	2.11		
राजस्थान		96.31	247.63			0.10		10.85
सिक्किम								
तमिलनाडु		20.54			1.03	0.34		87.81
तेलंगाना		43.9					0.33	
त्रिपुरा			0.12					
उत्तर प्रदेश	28.78	5.92	82.30				1.82	
उत्तराखंड		1.84	4.00					
पश्चिम बंगाल		10.2					0.07	

अनुलग्नक-III जारी...

वर्ष 2023-24 के दौरान मंत्रालय द्वारा चल रही मुख्य योजनाओं के तहत अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए जारी राज्य-वार सीएफए के ब्यौरे

करोड़ रु. में

राज्य	सौर पार्क	रूफटॉप सौर	पीएम-कुसुम	सीपीएसयू	बायोमास	बायोगैस	अपशिष्ट से ऊर्जा	जीईसी
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह		0.01						
आंध्र प्रदेश		4.5		22.45			2.74	47.54
अरूणाचल प्रदेश			2.12			0.39		
असम		2.11				1.26		
बिहार		9.8						
चंडीगढ़		3.34						
छत्तीसगढ़	14.3	1.43				0.95		
दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव						0.11		
दिल्ली		6.12				0.23		
गोवा		0.3					3.00	
गुजरात	505.13	644.91	28.72	145.91		8.14		23.85
हरियाणा		24.64	429.78					
हिमाचल प्रदेश		2.4						40.50
जम्मू एवं कश्मीर								
झारखंड			2.36					
कर्नाटक		11.68	2.38	112.35		6.77	6.61	147.12
केरल		199.89	28.53					
लद्दाख								
लक्षद्वीप								
मध्य प्रदेश	59.26	31.39	0.80			6.97	0.84	22.26
महाराष्ट्र		314.75	326.22		0.07	13.02	0.56	
मणिपुर		0.9	0.17			0.22		
मेघालय			0.31			0.22		
मिजोरम								
नागालैंड			0.18			0.18		
ओडिशा		3.08	3.44			0.32		
पुदुचेरी		0.39						
पंजाब		23.83	5.41			2.34		
राजस्थान	97.51	104.08	49.41	692.07	1.97	0.35		53.73
सिक्किम								
तमिलनाडु		13.94	2.59	80.97		0.47	2.36	
तेलंगाना		23.24		27.39		0.29		
त्रिपुरा		0.04	17.81			0.70		
उत्तर प्रदेश	39.30	61.06	92.13			1.84	4.71	
उत्तराखंड		10.77				0.77		
पश्चिम बंगाल					2.14			

अनुलग्नक-III जारी...

वर्ष 2024-25 के दौरान मंत्रालय द्वारा चल रही मुख्य योजनाओं के तहत अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए जारी राज्य-वार सीएफए के ब्यौरे

करोड़ रु. में

राज्य	सौर पार्क	रूफटॉप सौर	पीएम-कुसुम	सीपीएसयू	पीएम जनमन	बायोमास	बायोगैस	अपशिष्ट से ऊर्जा	जीईसी
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह		0.09							
आंध्र प्रदेश	83.90	111.42			0.37	1.84		0.72	11.87
अरूणाचल प्रदेश			1.91				0.31		
असम		64.33							
बिहार		53.76		0.70					
चंडीगढ़		6.28							
छत्तीसगढ़	2.80	8.80					0.72		
दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव		0.67							
दिल्ली		10.75		0.41					
गोवा		14.47						0.03	
गुजरात		3251.13	59.95	342.20				3.06	17.77
हरियाणा		207.42	303.40			2.04	0.11	7.43	
हिमाचल प्रदेश		18.41	1.73						
जम्मू एवं कश्मीर		59.85	12.90						
झारखंड		19.37	48.73		6.43				
कर्नाटक		81.01	0.89		0.63	4.00	0.95	8.30	24.65
केरल	7.40	801.27	1.72				0.04		
लद्दाख		2.67							
लक्षद्वीप		1.97							
मध्य प्रदेश	73.9	266.92					3.83	10.20	
महाराष्ट्र		1248.62	1619.00				27.77	10.20	
मणिपुर		2.56	0.17						
मेघालय		0.08							
मिजोरम	2.24	1.46	0.84						
नागालैंड		0.16							
ओडिशा		25.30					0.26		
पुदुचेरी		5.11							
पंजाब		81.18	13.09			7.60	2.21		
राजस्थान	48.5	321.04	295.20	211.30				1.69	
सिक्किम		0.02							
तमिलनाडु		172.64	6.48	1.76			4.95	15.18	10.47
तेलंगाना		89.52		1.30	0.44		0.85	5.37	
त्रिपुरा		1.14	9.31		5.96		0.91		
उत्तर प्रदेश	155.1	684.83	173.01			0.51	0.58	23.79	292.93
उत्तराखंड		163.26	15.60				1.29	0.20	
पश्चिम बंगाल		0.10					0.01		

अनुलग्नक-III जारी...

वर्ष 2025-26 के दौरान मंत्रालय द्वारा चल रही मुख्य योजनाओं के तहत अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए जारी राज्य-वार सीएफए के ब्यौरे (जून 2025 तक)

करोड़ रु. में

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सौर पार्क	रूफटॉप सौर	पीएम-कुसुम	सीपीएसयू	पीएम जनमन	बायोमास	बायोगैस	अपशिष्ट से ऊर्जा	जीईसी
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह		0.29							
आंध्र प्रदेश		116.01				0.13			11.62
अरूणाचल प्रदेश									
असम		74.14	1.41						
बिहार		24.38		1.05					
चंडीगढ़		1.07							
छत्तीसगढ़		9.87							
दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव		1.72							
दिल्ली		8.66		0.61			0.50		
गोवा		1.77	0.43						
गुजरात		654.02	199.05						
हरियाणा		62.39	135.74						
हिमाचल प्रदेश		11.35							
जम्मू एवं कश्मीर		37.57							
झारखंड	55.00	2.39	16.37						
कर्नाटक		24.50	82.15						
केरल	1.14	240.20	18.98						
लद्दाख		2.01							
लक्षद्वीप		1.74							
मध्य प्रदेश		106.89	7.95	20.63			0.17		
महाराष्ट्र		551.30	812.02						
मणिपुर		1.18							
मेघालय		0.03							
मिजोरम		1.22							
नागालैंड		0.03	0.02						
ओडिशा	2.98	30.83	4.09						
पुदुचेरी		3.05							
पंजाब		14.10	10.90						
राजस्थान		138.54	85.09						
सिक्किम		0.03							
तमिलनाडु		63.29	5.71						
तेलंगाना		37.89							
त्रिपुरा		2.21					0.99		
उत्तर प्रदेश		398.42	21.73			0.35			477.57
उत्तराखंड		120.73	7.10						
पश्चिम बंगाल		0.42							

*****